33

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक ।२०१८ विविध (मूल सुधार)

विविध–4222/2018/सतना/भू.रा.

श्री ...... द्वारा आज दि. 7-7-18 को प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक 16-7-18 नियत।
7-7-18
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

श्रीमती गीता सिंह पुत्री स्व० राजललन सिंह,
निवासिन ग्राम उमरी वृजनंदन, तैहसील नागौद,
जिला सतना (मध्यप्रदेश) ।एंव २६ अन्य ।

------ प्रार्थीगण

बिरुध्द

धनन्जय सिंह पुत्र त्र्यंबक सिंह, निवासी ग्राम उमरी
वृजनंदन तैहसील नागौद जिला- सतना (मध्यप्रदेश) ।

------- प्रतिप्रार्थी

निगरानी प्रकरण क्रमांक ६२०-दो ।निगरानी ।सतना । भू०रा०। २०१८। ६२० मे पारित आदेश दिनांक २६-५-१८ (पीठासीन माननीय श्री एस०एस० अली सदस्य) मे मूल सुधार हेतु आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा १५२ सी०पी०सी० सहपठित धारा ३२ मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, १९५९ ।

श्रीमान् जी,

मूल सुधार हेतु प्रार्थना पत्र निम्नानुसार प्रस्तुत है:-

१- यह कि, प्रतिप्रार्थी धनन्जय सिंह व्दारा अपर आयुक्त महोदय रीवां व्दारा प्र०क्र० १०।१७-१८ अपील मे पारित आदेश दिनांक ४-१-१८ के बिरुध्द इस माननीय न्यायालय मे निगरानी आवेदनपत्र प्रस्तुत किया गया था जो प्रकरण क्रमांक दो । निगरानी।सतना। भू०रा०। २०१८।६२० के रूप मे पंजीवध्द होकर आदेश दिनांक २६-५-१८ व्दारा निराकृत किया गया है । आदेश दिनांक २६-५-१८ की प्रमाणित प्रति की छाया प्रति सलग्न प्रस्तुत है ।

२- यह कि, लिपकीय एंव टाईपिंग भूल से आदेश दिनांक २६-५-१८ मे अपर आयुक्त के विवादित आदेश का दिनांक 4-1 ।२०१८ एंव पद क्रमांक १ की व्दितीय पंक्ति मे तथा पद क्रमांक ४ के अंतिम भाग एंव पद क्रमांक ५ की व्दितीय पंक्ति मे १३-१२-२००६

व

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0 प्र0,ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांकः–विविध / 4222 / 2018 / सतना / भू.रा.

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
01.08.18	आवेदिका श्रीमती गीता सिंह पुत्री स्व0 श्री राजललन सिंह निवासी ग्राम उमरी वृजनंदन तहसील नागौर जिला सतना के द्वारा आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 152 सी0 पी0 सी0 सह पठित धारा 32 म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 के तहत प्रस्तुत कर अनुरोध किया गया है कि इस न्यायालय का प्रकरण क्रमांक दो / निगरानी / सतना / भूरा / 2018 / 920 में पारित आदेश दिनांक 29.5.18 में टाइपिंग की त्रुटि से अपर आयुक्त रीवा के विवादित आदेश का दिनांक 4–1–18 के स्थान पर 471– –18 हो गया है, एवं पद क्रमांक 1 की द्वितीय पंक्ति में तथा पद क्रमांक 4 के अंतिम भाग एवं पद क्रमांक 5 की द्वितीय पंक्ति में 13.12.06 अंकित हो गया है। त्रुटि सुधार करने का अनुरोध किया गया है। 2– आवेदक अधिवक्ता का अनुरोध स्वीकार किया जाता है तथा दिनांक 471– –18 के स्थान पर 4–1–18 पढ़ा जावे तथा पद क्रमांक 1 की द्वितीय लाईन में दिनांक 13.12.06 तथा पद क्रमांक –4 नीचे से दूसरी लाईन में दिनांक 13.12.06 अंतिम भाग पद क्रमांक 5 की द्वितीय पंक्ति में 13.12.06 के स्थान पर दिनांक 4.1.18 पढ़ा जावे। यह आदेश पत्रिका आदेश का मूल अंग मानी जावेगी। सदस्य	